न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 33/2020
तारीख दायर : 13.07.2020

अनवान

1. गोपाल पिता धन्ना जाति कुमावत निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थी...

बनाम

1. शंकर पिता भवाना जाति कुमावत निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा।

अप्रार्थीगण...

उपस्थित :–

1. श्री हरिओम सनाढ्य (अधिवक्ता प्रार्थी)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 16.12.2022

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, 131 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी गोपाल पिता धन्ना जाति कुमावत निवासी मानपुरा तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा कि ग्राम मानपुरा पटवार हल्का मानपुरा में आराजी नम्बर 727/1 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम पर बहक खातेदारी के नाम पर दर्ज रेकार्ड होकर प्रार्थी काबिज हो फसल काश्त करता चला आ रहा है। ग्राम मानपुरा पटवार हल्का मानपुरा में आराजी नम्बर 727/4 रकबा 0.4047 हैक्टेयर भूमि विपक्षी संख्या 1 के खाते में दर्ज रेकार्ड होकर दोनों भूमि के पूर्व आराजी नम्बर 727 था तथा आराजी नम्बर 727 से प्रार्थी एंव विपक्षी संख्या 1 के नाम अलाटमेन्ट किया गया। जिस परं प्रार्थी कि खातेदारी भुमि रकबा 0.4047 हैक्टेयर अनुसार नक्शे में तरमीम नही कर कम कर दिया तथा विपक्षी संख्या 1 कि आराजी नम्बर 727/4 रकबा 0.4047 हैक्टेयर अनुसार रेकार्ड अनुसार नक्शे में तरमीम नही कर रेकार्ड से ज्यादा रकबा नक्शे में तरमीम कर दिया ऐसी स्थिति में नक्शा दुरस्त किया जाकर प्रार्थी के जमाबन्दी अनुसार नक्शा तरमीम किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि आराजी नम्बर 727/1 रकबा 0.4047 हैक्टेयर पर काबिज हो फसल काश्त करता चला आ रहा है परन्तु उक्त भुमि प्रार्थी के रेकार्ड अनुसार दर्ज नहीं कर विपक्षी संख्या 1 के नक्शे मे अधिक दर्ज कर दी, जिस वजह से आये दिन मोके पर सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न करते रहते है जिस पर प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड की नकल एंव नक्शा प्राप्त कर अपनी खातेदारी भुमि का अवलोकन किया जिस पर प्रार्थी को उक्त गलत तरमीम की जानकारी हुयी प्रार्थी की खातेदारी भुमि नक्शे में गलत तरमीम होने कि वजह से प्रार्थी ने दिनांक 30.06.2020 को विपक्षी संख्या 2 को नक्शे में सही तरमीम कराने का निवेदन किया तो विपक्षी संख्या 2 ने प्रार्थी की खातेदारी भुमि का नक्शा दुरस्थ कर सही तरमीम करने से मना कर दिया जबकि प्रार्थी अपनी खातेदारी भुमि को रेकार्ड अनुसार तरमीम कराने का कानुनी हक अधिकारी है ऐसी स्थिति में प्रार्थी की खातेदारी भुमि ग्राम मानपुरा पटवार हल्का मानपुरा में आराजी नम्बर 727/1 रकबा 0.4047 हैक्टेयर को राजस्व नक्शे में रेकार्ड अनुसार तरमीम किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। प्रार्थीगण ने दिनांक 30.06.2020 को विपक्षी को नक्शे में सही तरमीम कराने का निवेदन किया तो विपक्षी ने प्रार्थी की खातेदारी भुमि को नक्शा दुरस्थ कर सही तरमीम करने से मना कर दिया जिस वजह से प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करने कि नोबत

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ

आई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम मानपुरा पटवार हल्का मानपुरा में आराजी नम्बर 727/1 रकबा 0.4047 हैक्टेयर को एंव आराजी नम्बर 727/4 रकबा 0.4047 हैक्टेयर को रेकार्डेड रकबे अनुसार नक्शे में तरमीम किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये नोटिस भेज तलब किया। दिनांक 21.09.2021 को विपक्षी संख्या 2 सरकार की ओर से तहसीलदार माण्डलगढ़ ने अपने पत्र क्रमांक मू0अ0/2021/2066 दिनांक 15.09.2021 से जवाब अथवा प्रार्थना मेंरिपोर्ट पेश कर अवगत करवाया कि चरण संख्या 1 दस्तावेजी होने एवं चरण संख्या 2 स्वीकार है। चरण संख्या 3 गलत होकर अस्वीकर हैं। प्रार्थी ने दिनांक 30.06.2021 को कोई आवेदन पेश नही किया। तरमीम शुद्धि श्रीमान के क्षेत्राधिकार में है। चरण संख्या 4 गलत होकर अस्वीकार है। चरण संख्या 5, 6 व 7 कानूनी होने से जवाब की आवश्यकता नहीं है। संलग्न नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से आराजी नम्बर 727/1 व 727/4 के मध्य लाईन को प्रस्तावित किया गया है। आराजी संख्या 727/4 की नक्शे लट्ठे में तरमीम जमाबन्दी में दर्ज क्षैत्रफल 0.4047 हैक्टेयर के मुकाबले 0.4857 हैक्टेयर हो रही है, जो जमाबन्दी में दर्ज क्षैत्रफल से 0.0810 हैक्टेयर जयादा है। उक्तानुसार तरमीम करने पर प्रार्थी एवं अप्रार्थी की आराजी की नक्शे लटठे में तरमीम जमाबन्दी में दर्ज क्षेत्रफल के अनुसार सही हो जाती है।

दिनांक 07.12.2022 को विपक्षी संख्या 1 शंकर पिता भवाना कुमावत के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश दिया गया।

दिनांक 16.12.2022 को पत्रावली में अधिवक्ता वादी की एकपक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना एवं पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी, नक्शा ट्रैस, आवंटन पत्र, रिपोर्ट पटवारी, सुपुर्दगी-नामा इकरार नामा व आवंटित नक्शा का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन एवं मनन पाया गया कि प्रार्थी को जहा भूमि आंवटन हुई थी, प्रार्थी वही काबिज है एवं आराजी संख्या 727/4 की नक्शे लट्ठे में तरमीम जमाबन्दी में दर्ज क्षैत्रफल 0.4047 हैक्टेयर के मुकाबले 0.4857 हैक्टेयर हो रही है, जो जमाबन्दी में दर्ज क्षेत्रफल से 0.0810 हैक्टेयर जयादा है। प्रथम दृष्ट्या प्रार्थना पत्र अस्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136-131 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मानपुरा पटवार हल्का मानपुरा में आराजी नम्बर 727/1 रकबा 0.4047 हैक्टेयर एंव आराजी नम्बर 727/4 रकबा 0.4047 हैक्टेयर को रेकार्डेड रकबे अनुसार नक्शे में तरमीम किया जावें।

आदेश आज दिनांक 16.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

जय कौशिक (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ